प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
राज्य कर विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत राजस्व लेखापक्ष में अभिसूचना के स्रोतों का विकास के मानक मद 23-**गुप्त सेवा व्यय** में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत राजस्व लेखाशीर्षक 2052-090-03-0301-अभिसूचना के स्रोतों का विकास के मानक मद 23-**गुप्त सेवा व्यय** में प्रावधानित धनराशि **रू0 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दिये गये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 2052000900301 अभिसूचना के स्रोतों का विकास **मानक मद** 23 गुप्त सेवा व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक-यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. राज्य कर लेखा अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।